

न्यायालय: न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
(समक्ष: डी.एस.मण्डलोई)

फौज.प्रकरण क्र. 1255 / 14
संस्थित दि. : 29 / 12 / 14

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बिरसा,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... अभियोगी

विरुद्ध

महेन्द्र मेरावी पिता मंगलसिंह मेरावी, उम्र 27 साल, जाति गोंड,
निवासी ग्राम दमोह कालोनी वार्ड नं. 1 थाना बिरसा जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... आरोपी

— :: निर्णय :: —

(आज दिनांक 29 / 12 / 2014 को घोषित किया गया)

(01) आरोपी पर सार्वजनिक धूत अधिनियम की धारा 4(क) का आरोप है कि आरोपी दिनांक 17 / 12 / 2014 को समय 05:30 बजे ग्राम दमोह कालोनी एरिकोन बड़ के पेड़ के नीचे थाना बिरसा के अन्तर्गत रुपये—पैसे की हार जीत को लेकर सट्टा पर्ची पर अंक लिखकर जुआ खेलते हुये पाये गये।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आरक्षी केन्द्र बिरसा में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक राजधर दुबे दिनांक 17.12.2014 को हमराह स्टाफ के साथ कस्बा भ्रमण पर रवाना हुआ था तो कस्बा भ्रमण के दौरान उसे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम दमोह कालोनी एरिकोन बड़ के पेड़ के नीचे एक व्यक्ति अंको से रुपये पैसों का दाव लगाकर हार—जीत का खेल रहा हैं मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर हमराह स्टाप साथ लेकर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर जाकर घेराबंदी कर आरोपी को पकड़कर नाम पता पूछने पर आरोपी ने अपना नाम महेन्द्र सिंह मेरावी होना बताया आरोपी के कब्जे से एक अंक लिखी हुई कागज की सट्टा पर्ची, एक सिन्दूरी रंग की डॉट पेन एवं नगदी 1925 / — जप्त कर आरोपी का कृत्य सार्वजनिक धूत अधिनियम की धारा 4(क) के अन्तर्गत दण्डनीय होने से आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध अपराध

क्रमांक 169 / 14 अन्तर्गत धारा सार्वजनिक धूत अधिनियम की धारा 4(क) के तहत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।

(03) आरोपी को मेरे द्वारा सार्वजनिक धूत अधिनियम की धारा 4(क) का आरोप-पत्र विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया।

(04) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

(अ) क्या आरोपी दिनांक 17 / 12 / 2014 को समय 05:30 बजे ग्राम दमोह कालोनी एरिकोन बड़ के पेड़ के नीचे थाना बिरसा के अन्तर्गत रुपये-पैसे की हार जीत को लेकर सट्टा पर्ची पर अंक लिखकर जुआ खेलते हुये पाये गये ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

(05) आरोपी को सार्वजनिक धूत अधिनियम की धारा 4(क) के अपराध क मुख्य विशिष्टियां पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध स्वेच्छयापूर्वक करना स्वीकार किया।

(06) आरोपी द्वारा सार्वजनिक धूत अधिनियम की धारा 4(क) का अपराध स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी को सार्वजनिक धूत अधिनियम की धारा 4(क) के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

(07) आरोपी के विरुद्ध अभियोजन द्वारा पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है। अतः आरोपीगण का यह प्रथम अपराध होना प्रकट होता है। आरोपी द्वारा अपराध की स्वीकारोक्ति करने के फलस्वरूप आरोपी को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

(08) आरोपी को सार्वजनिक धूत अधिनियम की धारा 4(क) के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए 1000 /— (एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

(09) आरोपी द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा न करने के व्यतिक्रम में आरोपी को एक माह के साधारण कारावास की सजा पृथक से भुगताई जावे।

(10) प्रकरण में आरोपी से जप्तशुदा सम्पत्ति एक अंक लिखी हुई कागज की सट्टा पर्ची, एक सिन्दूरी रंग की डॉट पेन मूल्यहीन होने से विधिवत् नष्ट किया जावे एवं नगदी 1925/— राजसात किया जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित
किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)